संख्या- 55/2018/852/71-1-2018-जी-03/2016

प्रेषक,

शमीम अहमद खान,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 21 मार्च, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों के लिए क्रय किये जाने वाले उपकरणों के भुगतान हेतु पी0एल0ए0 में रक्षित धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2018/868, दिनॉक 05-02-2018 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में उपकरणों के लिए विभिन्न शासनादेशों के द्वारा स्वीकृत की गयी कुल धनराशि रू0 22,71,46,139/- (रू0 बाइस करोड़ इकहत्तर लाख छियालीस हजार एक सौ उनतालीस मात्र), जो शासनादेश संख्या-103/2016/964/71-1-2016-जी-03/2016, दिनॉक 31-03-2016 के द्वारा वित्त अधिकारी सी0एस0एम0 चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के नाम से खुले पी0एल0ए0 खाता संख्या-8448047 में रक्षित है। पी0एल0ए0 में रक्षित धनराशि की उपयोगिता अवधि समाप्त हो जाने पर समय-समय पर विभिन्न शासनादेशों द्वारा उपयोगिता अवधि बढ़ायी गई है।

पी0एल0ए0 में रक्षित अशेष धनराशि रू0 4,67,54,646.39 की उपयोगिता अवधि शासनादेश संख्या-140/2017/3876/71-1-2017-जी-03/2016, दिनॉक 21-12-2017 द्वारा दिनॉक 31-03-2018 तक बढ़ाई गई है। उक्त अवशेष धनराशि रू0 4,67,54,646.39 में से शासनादेश दिनॉक 07-03-2018 द्वारा रू0 16,58,312/- का आहरण कर लिया गया है तथा रू0 4,50,96,333.50 लाख की धनराशि अवशेष है। उक्त अवशेष धनराशि में से रू0 79,056/- (रू0 उन्यासी हजार छप्पन मात्र) को संलग्न विवरणानुसार आहरित कर व्यय किये जाने की अनुमति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त धनराशि को पी0एल0ए0 से आहरित करने की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रधानाचार्यो द्वारा उपकरणों के क्रय के संबंध में समस्त वित्तीय नियमों के अन्तर्गत समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

3- प्रश्नगत धनराशि का उपयोग उसी मद/प्रयोजन पर किया जायेगा, जिस हेतु यह धनराशि पी0एल0ए0 में रखी गयी है।

4- महानिदेशक उक्त धनराशि का पी0एल0ए0 से आहरण तभी करेंगे, जब नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण हो जाय एवं भुगतान की स्थिति उत्पन्न हो जाय। धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

5- शासनादेश संख्या-103/2016/964/71-1-2016-जी-03/2016, दिनॉक 31-03-2016 की अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पंजी0 संख्या-ई-3-763/दस-2018, दिनॉक 21 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:-55/2018/852(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
4- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, कोषागार, लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, आजमगढ़।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।